न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.
प्रकरण संख्या :– 07/2024 GCMS No. 2024/52
परिवादी :–
1. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–
1. श्री रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद खाद्यकारोबारकर्ता
फर्म –मैसर्स रईस किराणा, गली नं. 3, गरीब नवाज कॉलोनी मकराना
निवासी– गली नं. 3, गरीब नवाज कॉलोनी मकराना

" **परिवाद अन्तर्गत धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006** '
उपस्थिति :– रईस अहमद।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप अग्रावाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अंधिकारी दिनांक 28.03.2024 को समय 4.30P.M. पर फर्म मैसर्स– रईस किराणा, गली नं. 3, गरीब नवाज कॉलोनी मकराना पर पहुंचा। वहां पर श्री रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद खाद्यकारोबारकर्ता मकराना मिले। श्री रईस अहमद को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर रईस अहमद मैसर्स– मैसर्स रईस किराणा, गली नं. 3, गरीब नवाज कॉलोनी मकराना का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा–पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्वःहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **लाल मिर्च पाउडर (लूज)** एक खुल प्लास्टिक कट्टे में लगभग 30 किलोग्राम रखा मिला। के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 2 किलोग्राम **लाल मिर्च पाउडर (लूज)** खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रईस अहमद को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदा। जिसकी कीमत श्री रईस अहमद को 560/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. **5 ए** की प्रतियॉ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर रईस अहमद एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर [illegible] किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. **5 ए** [illegible] खाद्यकारोबारकर्ता मालिक श्री रईस अहमद को उपलब्ध कराकर [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

लाल मिर्च पाउडर (लूज) 2 किलो ग्राम को चौड़े मुंह की चार प्लास्टिक बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर ढक्कन को एयर टाईट बंद कर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2896 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-2896 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील वन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/एफएसएसए/जारि /2024/324 दिनॉंक 02.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **L.S./418/Act/2024/446** दिनांक **12.04.2024** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (लूज)** का नमूना **Contravenes Regulation(**विनियमन का उल्लंघन**)** होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री रईस अहमद ने खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (लूज) Contravenes Regulation** का उल्लघंन करके F.S.S.A.की धारा **Contravenes Regulation No. 2.3.14.(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in Loose condition** धारा 26(2)(v) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुश्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति [illegible] की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, [illegible] अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित कि[illegible] के पत्र की प्र[illegible]स्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 21.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मकराना ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनॉक 28.03.2024 को मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया था। प्रार्थी भविष्य में खाद्य सामग्री सावधानीपूर्वक बेचने का प्रयास करेगा। प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर कम से कम पेनल्टी तय करने की कृपा करावें।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S./418/Act/2024/446 दिनांक 12.04.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Mirch powder** bearing Code No. and Sr. No. **Q-2896** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **Contravenes Regulation No. 2.3.14.(15)** of Food Safety and Standards (prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011. **it sold on loose condition.**

मिर्च पाउडर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3.14.(15) का उल्लंघन करता है, इसे खुली अवस्था में बेचा गया था।

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री वकील रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद खाद्यकारोबारकर्ता मालिक मैसर्स रईस किराणा, गली नं. 3 गरीब नवाज कॉलोनी मकराना से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (लूज)** नमूना नं. **Q-2896** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-2896** वाले लाल मिर्च पाउडर के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.14.(15) का उल्लंघन करता है, इसे खुली स्थिति में बेचा गया था।" F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एंव 58 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :–(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार **लाल मिर्च पाउडर (लूज)** में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद मकराना दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री वकील कुरैशी पुत्र जुमा कुरैशी खाद्यकारोबारकर्ता श्री रईस अहमद पुत्र बाबु मोहम्मद खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स रईस किराणा, गली नं.3, गरीब नवाज कॉलोनी मकराना पर राशि रुपये 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:33 IST
Reason: SelfAttested